

कार्यालय मुख्य जानयता (पारयमा क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
पत्रांक- 706/ग्रा0अ0से0/लेखा-ठेके0पंजी0-88/2018-19/दिनांक- 15.10.2018
पंजीकरण संख्या- 343/श्रेणी 'ए'/मार्ग निर्माण/2018

--- पंजीकरण प्रमाण पत्र ---

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-1197 दिनांक-03.10.2018 से प्राप्त मैसर्स विजय कुमार सिंह एसोसिएट्स, आर0पी0एस0 मार्केट, दातागंज, कस्बा व तहसील दातागंज जिला बदायूं (जिसके पार्टनर श्री विजय कुमार सिंह, श्री राशिद हुसैन एवं श्री विनीत कुमार सिंह हैं तथा फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राशिद हुसैन-फोन नं0-9258477777) का श्रेणी-"ए" में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स विजय कुमार सिंह एसोसिएट्स, आर0पी0एस0 मार्केट, दातागंज, कस्बा व तहसील दातागंज जिला बदायूं को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी-"ए" में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30.06.2021 तक की अवधि के लिए एतद्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ecf
(रवीन्द्र सिंह गंगवार)
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआईयू को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी0/नियो0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मैसर्स विजय कुमार सिंह एसोसिएट्स, आर0पी0एस0 मार्केट, दातागंज, कस्बा व तहसील दातागंज जिला बदायूं (मो0नं0-9258477777 ई-मेल vijaykumarassociates@gmail.com) को निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अभिलेखों में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा।



18.12.18
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)